

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1
25.11.2024 को उत्तर के लिए

वायु प्रदूषण को रोकने हेतु कदम

1. श्री प्रदीप पुरोहित :

श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर :

श्री राधेश्याम राठिया :

क्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या अब तक बढ़ते हुए प्रदूषण स्तर को रोका गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) देश के सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रों में से एक बन चुके ओडिशा के झारसुगुडा और ब्रजराजनगर जिलों तथा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और तमनार जिलों में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए औद्योगिक घरानों और स्थानीय प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) क्या सरकार का विशेषकर उक्त जिलों में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए आधुनिक तकनीकों का सुझाव देने हेतु एक उच्चस्तरीय दल भेजने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) : सरकार ने राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर की कार्ययोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से देश भर में वायु गुणवत्ता मानकों का अनुपालन न करने वाले/10 लाख से अधिक की आबादी वाले 130 लक्षित शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति के रूप में वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) आरंभ किया है। इस एनसीएपी में 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक पीएम सांदर्भ में 20-30% की कमी लाने की परिकल्पना की गई है।

इसमें संशोधन करके 2025-26 तक पीएम₁₀ के स्तर में 40% तक की कमी लाने या राष्ट्रीय मानकों (60 µg/m³) को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

एनसीएपी के तहत शहरों ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के उद्देश्यों के अनुसार वायु गुणवत्ता में सुधार के उपाय करने के लिए शहरी कार्य योजनाएँ तैयार की हैं। इस कार्यक्रम के तहत शहरी कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए शहरों को 11,211 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसके अलावा, एनसीएपी में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), 'अमृत', स्मार्ट सिटी मिशन, 'सतत' और नगर वन योजना के साथ-साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन और नगर निगमों तथा शहरी विकास प्राधिकरणों जैसी एजेंसियों के संसाधनों के समन्वय के माध्यम से शहरी कार्य योजनाओं (सीएपी) के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है।

इस कार्यक्रम के तहत वित वर्ष 2023-24 के लिए किए गए वार्षिक कार्य निष्पादन आकलन के अनुसार, 97 शहरों में 2017-18 के स्तर के सापेक्ष 2023-24 में PM10 के स्तर में कमी का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। 55 शहरों में 2017-18 के स्तर के सापेक्ष 2023-24 में PM10 के स्तर में 20% और उससे अधिक की कमी का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। 18 शहरों में 2023-24 में PM10 के स्तर के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा किया है। इसके अलावा, सरकार द्वारा उठाए गए विनियामक उपायों को अनुलग्नक-I में दर्शाया गया है। एनसीएपी के अंतर्गत आने वाले शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) : ब्रजराजनगर Iबी वैली औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा है, जिसे पूर्व में वर्ष 2009 में 74 के व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) स्कोर के साथ गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके अलावा, झारसुगुड़ा औद्योगिक क्षेत्र को 2009 में 73.34 के सीईपीआई स्कोर के साथ गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिशा ने स्थानीय प्रशासन सहित विभिन्न हितधारकों के साथ Iबी वैली और झारसुगुड़ा औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण के उपरान्त के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की है और इसे कार्यान्वित किया है। उद्योगों ने इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी), फ्यूम शोधन संयंत्र चिमनियों पर बैग फिल्टर लगाए हैं। संयंत्र परिसर के भीतर आंतरिक सड़कों को कंक्रीट से बनाया गया है। धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कोयला हैंडलिंग संयंत्र, सामग्री हैंडलिंग क्षेत्र और धूल उत्पन्न करने वाले स्थानों पर पानी का छिड़काव करने वाले उपकरण लगाए गए हैं। प्रमुख औद्योगिक इकाइयों ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरटीडीएस सर्वर से डेटा कनेक्टीविटी करके ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी तंत्र (सीईएमएस) एवं सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन संस्थापित किए हैं। इसके अलावा, इन उद्योगों ने स्टैक से

उत्सर्जन और संयंत्र के फ्यूजिटिव उत्सर्जन को दूरस्थ स्थान से देखने के लिए एसपीसीबी सर्वर से डेटा कनेक्टिविटी के साथ एचडी आईपी निगरानी कैमरा स्थापित किया है। उक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन के कारण, Iबी वैली का सीईपीआई स्कोर वर्ष 2024 में 58.85 तक लाया गया है। इसके अलावा, झारसुगुड़ा का सीईपीआई स्कोर 2018 में 37.2 तक लाया गया है। ये क्षेत्र वर्तमान में गंभीर प्रदूषित क्षेत्र की श्रेणी से बाहर हैं।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तमनार औद्योगिक क्षेत्र में कोयला खनन जैसी प्रमुख औद्योगिक गतिविधियों और ताप विद्युत संयंत्रों जिन्हें ईआईए अधिसूचना 2006 के तहत पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करके और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (सीईसीबी) द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत जारी की गई सहमति के माध्यम से विनियमित किया जाता है।

रायगढ़ जिले में उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रीसिपिटेटर, बैग फिल्टर, स्क्रबर, वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम, फॉग कैनन, व्हील वॉशिंग सिस्टम, ग्रीनबोल्ट संस्थापित करने जैसे उपाय किए गए हैं। क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए पाँच परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड ने वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31क के तहत निर्देश जारी किए हैं और क्षेत्र के उद्योगों पर पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण मुआवजा लगाया है।

सरकार द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए विनियामक उपाय :

- i. 80 से अधिक उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।
- ii. निम्नलिखित के लिए हाल ही में उत्सर्जन मानक अधिसूचित/संशोधित किए गए :
 - क. ताप विद्युत संयंत्र
 - ख. डीजल/पेट्रोल/सीएनजी जनरेटर सेट
 - ग. औद्योगिक बॉयलर
 - घ. चूना भट्टियां
 - ड. ईंट भट्टे और उनका ज़िग-ज़ैग प्रौद्योगिकी में परिवर्तन
 - च. कैल्सीनेटेड पेटकोक उद्योग
 - छ. हॉट मिक्स संयंत्र
- iii. 1 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज-VI (बीएस-VI) उत्सर्जन मानदंड लागू करना।
- iv. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वाहन स्क्रैपिंग नीति, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्रों और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के लिए नियम बनाना।
- v. ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, ई-कचरा, बैटरी अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट प्रबंधन नियम और ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा राख का 100% उपयोग।
- vi. अपशिष्ट की श्रेणियों जैसे प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-कचरा, बैटरी अपशिष्ट, बेकार टायर और प्रयुक्त तेल के लिए बाजार आधारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) विनियम शुरू किए गए।
- vii. कचरा फेलाने की उच्च क्षमता और कम उपयोगिता वाले 12 चिन्हित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं (एसयूपी) पर 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंध लगा दिया गया।
- viii. एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले (पेलेट्स/ ब्रिकेट्स) के साथ-साथ न्यूनतम 5% फसल अवशेषों के उपयोग का आदेश दिया गया।

अनुलग्नक-II

वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में 130 शहरों में PM10 सांद्रता में सुधार

क्र.सं.	शहर	वर्ष 2017-18 में PM10 सांद्रता ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (वार्षिक औसत)	वर्ष 2023-24 में PM10 सांद्रता ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (वार्षिक औसत)	वर्ष 2017-18 की तुलना में 2023-24 में PM10 सांद्रता में प्रतिशत कमी (%)
1.	वाराणसी	230	73	68
2.	बरेली	207	80	61
3.	फिरोजाबाद	247	102	59
4.	देहरादून	250	109	56
5.	धनबाद	315	138	56
6.	तूतीकोरिन	123	57	54
7.	नालागढ़	146	68	53
8.	मुरादाबाद	222	115	48
9.	खुर्जा	195	104	47
10.	त्रिची	88	47	47
11.	कोहिमा	127	68	46
12.	लखनऊ	253	137	46
13.	कानपुर	227	125	45
14.	कडपा	75	42	44
15.	शिवसागर	73	41	44
16.	सुन्दर नगर	78	44	44
17.	आगरा	202	116	43
18.	ग्रेटर मुंबई	161	94	42
19.	ऋषिकेश	129	76	41
20.	परवाणू	66	39	41
21.	बर्नीहाट	175	104	41
22.	अहमदाबाद	164	98	40
23.	गाजियाबाद	285	172	40
24.	राजकोट	150	92	39
25.	जालंधर	178	111	38
26.	रायबरेली	145	91	37
27.	अमृतसर	189	119	37
28.	बद्री	174	111	36
29.	कोलकाता	147	94	36

30.	जम्मू	157	101	36
31.	सिलचर	49	32	35
32.	जोधपुर	189	124	34
33.	विजयवाडा	91	61	33
34.	नया नंगल	87	59	32
35.	दीमापुर	142	97	32
36.	खन्ना	142	100	30
37.	दुर्गापुर	150	106	29
38.	कुरनूल	79	56	29
39.	डेरा बाबा नानक	79	56	29
40.	वडोदरा	133	95	29
41.	इलाहाबाद	169	124	27
42.	आसनसोल	147	108	27
43.	श्रीनगर	132**	96	27
44.	हैदराबाद	110	81	26
45.	गोरखपुर	150	111	26
46.	अनंतपुर	78	59	24
47.	रांची	141	107	24
48.	बैंगलुरु	92	70	24
49.	अकोला	111	85	23
50.	दुर्ग भिलाईनगर	86	68	21
51.	सूरत	130	103	21
52.	नोएडा	229	182	21
53.	हावड़ा	139	111	20
54.	थाणे	138	111	20
55.	लातूर्	82	66	20
56.	नेल्लोर	64	52	19
57.	गजरौला	204	167	18
58.	फरीदाबाद	229**	190	17
59.	अलवर	152	127	16
60.	चित्तूर्	70	59	16
61.	काला अम्ब	118	100	15
62.	मंडीगोबिंदगढ़	148	126	15
63.	अमरावती	102	87	15
64.	पटियाला	106	91	14
65.	जयपुर	172	148	14
66.	ओंगोल	65	56	14
67.	दिल्ली	241	208	14

68.	चंद्रपुर	118	102	14
69.	नासिक	82	72	12
70.	झांसी	109	96	12
71.	सांगली	87	77	11
72.	दावणगेरे	74	66	11
73.	कोटा	139	124	11
74.	राजमुंदरी	85	76	11
75.	हुबली, धारवाड	79	71	10
76.	जबलपुर	101	91	10
77.	उज्जैन	93	84	10
78.	गुंटूर	66	61	8
79.	कलिंग नगर	109	101	7
80.	मेरठ	159	149	6
81.	नागपुर	100	94	6
82.	एलुरु	72	68	6
83.	मदुरै	72	68	6
84.	दमताल	55	52	5
85.	हल्दिया	92	87	5
86.	अनपरा	175	166	5
87.	बदलापुर	160	152	5
88.	उदयपुर	127	121	5
89.	संगारेइडी	85	81	5
90.	चेन्नई	66	63	5
91.	लुधियाना	168	161	4
92.	पुणे	102	98	4
93.	जमशेदपुर	135	130	4
94.	कोल्हापुर	89	86	3
95.	उल्हासनगर	153	149	3
96.	श्रीकाकुलम	69	68	1
97.	काशीपुर	99	98	1
98.	तालचेर	113	113	0
99.	नलगोडा	59	59	0
100.	भोपाल	112	113	-1
101.	सागर	73	74	-1
102.	विजयनगरम	72	73	-1
103.	चंडीगढ़	114	116	-2
104.	गुलबर्गा	55	56	-2
105.	जलना	99	102	-3

106.	पटना	172	178	-3
107.	कोरबा	57	59	-4
108.	पौंटा साहिब	84	90	-7
109.	ग्वालियर	126	136	-8
110.	रायपुर	70	76	-9
111.	नवी मुंबई	88	98	-11
112.	राऊरकेला	99	111	-12
113.	मुजफ्फरपुर	147	168	-14
114.	बैरकपुर	86	99	-15
115.	गुवाहाटी	103	119	-16
116.	डेरा बस्सी	88	102	-16
117.	सोलापुर	81	96	-19
118.	देवास	83	99	-19
119.	इंदौर	82	99	-21
120.	वसई विरार	99	125	-26
121.	नगांव	82	107	-30
122.	ओरंगाबाद	75	98	-31
123.	गया	79	104	-32
124.	भुवनेश्वर	85	114	-34
125.	जलगांव	70	97	-39
126.	कटक	93	129	-39
127.	नलबाड़ी	87	127	-46
128.	बालासोर	84	124	-48
129.	विशाखापत्तनम	76	120	-58
130.	अंगुल	97	167	-72

** फ्रीदाबाद और श्रीनगर के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के PM_{10} के स्तर उपलब्ध नहीं हैं। फ्रीदाबाद के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के PM_{10} के स्तर और श्रीनगर के लिए वित्त वर्ष 2018-19 के PM_{10} के स्तर को आधार रेखा माना गया है।

* वायु गुणवत्ता मानकों का अनुपालन न करने वाले पटनचेरू शहर को हैदराबाद शहरी समूह के साथ विलय कर दिया गया है और तदनुसार एनसीएपी के तहत कवर किए गए शहरों की संशोधित संख्या 130 है।